फर्द अहकाम

रणजीतसिंह बनाम तोफ वगैरह

FC-II

मुकदमा - ~~[illegible]~~ 452/2008

आज्ञा का संक्षिप्त सार	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पत्रावली आज दिनांक 23/11/22 को पेश हुई वकील प्रार्थी-[illegible] हुए। पत्रावली [illegible] प्रा. जवाब/[illegible] [illegible] हेतु दिनांक 25/11/22 [illegible] । [illegible] कलक्टर [illegible] द्वितीय	
25/11/22	पत्रावली वास्ते इन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उक्त प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीपात से संबंधित एक अन्य वाद, वाद संख्या 162/2008 बउनवानी जगजीत सिंह बनाम सर्वदमन सिंह में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी खाता संख्या नया 53 पुराना 3, खाता संख्या नया 53 पुराना 84, खाता संख्या नया 84 पुराना 3 जमाबंदी संवत 2074 में वाई ग्राम खोरी-शेखा तहसील सांगानेर जिला जयपुर से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीपात में पक्षकारान के मध्य तकसीम होकर अलग अलग खाता कायम हो चुका है। ऐसे में जब वादग्रस्त आराजीपात में पक्षकारान के मध्य तकसीम होकर खाता अलग-अलग कायम हो चुका है तो यह वाद जो इन्तजार कुर्रेजात में निचत है [illegible] चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी [illegible] इसी स्तर पर [illegible] होकर प्रोसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible] को सरे इजलास सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
जयपुर [illegible] द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner